Policy for

CULTURAL ACTIVITIES
SIDDHARTH UNIVERSITY, KAPILVASTU

SIDDHARTH UNIVERSITY, KAPILVASTU,
SIDDHARTHNAGAR, UTTAR PRADESH, 272202

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सांस्कृतिक गतिविधि संचालन नीति

परिचय–

विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए शैक्षणिक, खेल आदि गतिविधियों के साथ–साथ परिसर में सांस्कृतिक गतिविधियों का व्यवस्थित संचालन भी आवश्यक है और इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर की सांस्कृतिक कार्यक्रम नीति का होना भी अनिवार्य है।

ध्येय– ''संस्कृतिः तादात्म्यस्य प्राणः।''
(संस्कृति अस्मिता की संजीवनी है।)
–सत्येन्द्र कुमार दूबे

ध्येय–

1. परिसर में सांस्कृतिक चेतना का विकास करना।
2. परिसर में विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों को सांस्कृतियों गतिविधियों के क्रियाकलापों को प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना।
3. विद्यार्थियों की सांस्कृतिक गतिविधि संबन्धी रुचि एवं कौशल को सक्रिय सहभाग में परिवर्तित करने व निखारने का अवसर उत्पन्न करना।
4. विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का वातावरण तैयार करना।
5. परिसर में सहानुभूति और सद्भावना का वातावरण तैयार करना।
6. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की छवि निरंतर उन्नततर करना।

कार्य पद्धति–

विश्वविद्यालय परिसर की सांस्कृतिक नीति के अन्तर्गत कार्य पद्धति निम्नलिखित रुप में होगी–

1. विश्वविद्यालय परिसर की एक केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति होगी, जिसका गठन कुलपति के अनुमोदन से कुलसचिव द्वारा अधिकतम दो वर्षों के लिए किया जाएगा। समिति अथवा समिति के पदाधिकारीगण की निष्क्रियता, असंतोषप्रद कार्य–व्यवहार अथवा अन्य अपरिहार्य कारण से समिति का पुनर्गठन अथवा पदाधिकारी/पदाधिकारियों के परिवर्तन से समिति की पुनर्रचना मध्यावधि मे की जा सकती है। केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति के गठन हेतु विश्वविद्यालय परिसर मे नियमित रुप से कार्यरत कल्याण द्वारा कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2. विश्वविद्यालय परिसर की केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति की कार्यकारिणी में संयोजक सहित कम से कम नौ तथा अधिकतम ग्यारह प्राध्यापक सदस्य होंगे सथा इनके अतिरिक्त एक वर्ष के लिए

तीन विद्यार्थियों (एक स्नातक कक्षा से, एक स्नातकोत्तर कक्षा से तथा एक शोधार्थी) को विद्यार्थी प्रतिनिधि के रुप में समिति द्वारा नामित कर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

3. विश्वविद्यालय परिसर में सांस्कृतिक गतिविधियों के समुचित संचालन हेतु संकाय स्तर पर भी एक–एक साांस्कृतिक समिति होगी, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर में नियमित रुप से कार्यरत प्राध्यापक सदस्यों की संख्या संयोजक सहित सात से कम और नौ से अधिक नहीं होगी तथा इनके अतिरिक्त दो विद्यार्थी समिति द्वारा एक वर्ष के लिए संकायाध्यक्ष के अनुमोदन से पामित किए जाएगें।

4. विश्वविद्यालय परिसर की केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति संकाय स्तरीय सांस्कृतिक समितियों के साथ बैठक करके प्रति वर्ष सांस्कृतिक गतिविधयों का कैलेन्डर जारी करेगी, जिसमे भारत के सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय पर्वो के साथ–साथ प्रादेशिक व क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविध्यिों के अवसरों को ध्येय के अनुरूप सम्मिलित करना होगा।

5. विश्वविद्यालय परिसर में सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण हेतु अधेनातन उपकरणों से सुसज्जित एक स्टूडियों होगा। स्टूडियों के अभिरक्षण हेतु कुलसचिव द्वारा केन्द्रीय सांसकृतिक समिति अथवा संकायस्तरीय सांस्कृतिक समितियों के बाहर से विश्वविद्यालय परिसर मे नियमित रुप से कार्यरत दो प्राध्यापकगण कार्मिक पद वरिष्ठता के अनुसार क्रमशः स्टूडियो प्रभारी व स्टूडियो सह–प्रभारी के रूप में अधिकतम तीन वर्षों के लिए संतोषप्रद कार्य–व्यवहार केआधार पर नियुक्त किये जाएंगे और इसी प्रकार कार्यालयी देख–रेख के निए एक लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिकतम पॉच वर्षो के लिए सम्बद्ध किये जाएंगे। स्टूडियो के संवर्द्धन व पुनर्वास संबन्धी निर्णय लेले का कार्य यथासमय केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति करेगी।

6. विश्वविद्यालय परिसर की केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति देश की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्थाओं से एम0ओ0यू0 सम्पन्न करने में भी संलग्न होगी।

7. 1. विश्वविद्यालय परिसर की केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति की देखरेख में ''कलामण्डल' नाम से विश्वविद्यालय परिसर का बैण्ड निर्मित होगा, तिसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ–साथ पुरातन विद्यार्थी भी सम्बन्धित संकायाध्यक्ष द्वारा नामित किये जानू के उपरान्त कुलपति के अनुमोदन से सम्मिलित हो सकते हैं।

7 2. विश्वविद्यालय परिसर स्थित संकायों/छात्रावासों में क्रमशः संकाय स्तरीय सांस्कृतिक समिति/अभिरक्षकगण के निर्देशन में आवश्यकतानुसार सांस्कृतिक गतिविधियाँ (तैयारी अथवा प्रस्तुति) संकाय/छात्रावास स्तर पर ही प्राध्यापकों/विद्यार्थियों से निर्मित टीम का गठन करके सम्पन्न की जाएंगी।

7. 3. संकाय स्तर पर गठित सांस्कृतिक समिति कम से कम एक सप्ताह पूर्व कार्यक्रम की रूपरेखा और तत्सम्बन्धी वित्तीय आवश्यकता का प्रस्ताव विश्वविद्यालय परिसर की सांस्कृतिक समिति को प्रस्तुत करेगी, तदुपरान्त विश्वविद्यालय परिसर की सांस्कृतिक समिति प्रस्तावक के साथ बैठक करके उपयुक्त निर्णय लेगी।

7. 4. विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न हेने वाली समस्त सांस्कृतिक गतिविधियों की वित्तीय व्यवस्था विश्वविद्यालय परिसर की केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति के सचिव सम्भालेगें।

7. 5. विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को प्रस्ताव विश्वविद्यालय परिसर की केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति द्वारा कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तदुपरान्त कुलपति के अनुमोदन से कार्यक्रमों के आयोजन की आधिकारिक अधिसूचना कुलसचिव जारी करेंगे।

8. विश्वविद्यालय परिसर के गैर कार्मिक आवासीय सदस्यों को विश्वविद्यालय परिसर की सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय सहभाग करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर की सांस्कृतिक समिति ध्येय के अनुरूप अवसर प्रदान करेगी।

9. 1. सांस्कृतिक गतिविधियों की तैयारी के लिए विद्यार्थियों के प्रशिक्षित करने हेतु केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति द्वारा आवश्यक बताये जाने पर अधिकतम तीन माह के लिए संगीत का व्यापक ओर व्यावहारिक ज्ञान सम्पन्न दो अर्ह प्रशिक्षकों की सेवाएँ ली जाएंगी।

9. 2. संगीत प्रशिक्षकों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ससमय पर निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक के अनुरूप मानदेय/पारिश्रमिक दिया जाएगा।

10. 1. विश्वविद्यालय परिसर में 'बोधिसत्व युवा केन्द्र' की स्थपना की जाएगी, जा समय–समय पर भाषण, वाद–विवाद, निबन्ध लेखन, स्किट, मिमिक्री, नाटक, चित्रकला, नृत्य, गीत आदि प्रतियोगिताएँ यथवसर आयेजित करती हरेगा। इसमें आवश्यकतानुसार एन0एस0एस0 तथा एन0सी0सी0 का सहयोग लिया जा सकता है। कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय परिसर मे नियमित रुप से कार्यरत एक प्राध्यापक की नियुक्ति 'बोधिसत्व युवा केन्द्र' के प्रभारी के रुप में अधिकतम दो वर्षों के लिए की जाएगी।

10. 2. स्टूडियो का कार्यालयी काम–काज करने के लिए सम्बद्ध लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही 'बोधिसत्व युवा केन्द्र' कार्यालय से सम्बद्ध होंगें।

11. विश्वविद्यालय परिसर की केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति प्रतिवर्ष 03 नवमबर को 'सिद्धार्थ विश्वविद्यालय वाषिकोत्सव' आयोजित किये जाने का प्रस्ताव, अनुमानित वित्तीय व्यय–विवरण सहित, आयोजन तिथि से कम से कम पाँच सप्ताह पूर्व कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा आयोजन किए जाने की अधिसूचना आयेजन तिथि से कम से कम एक माह पूर्व कुलसचिव द्वारा जारी कर दी जाएगी।

12. उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत उल्लिखित संयोजक, सदस्य, सचिव, प्रभारी, सह–प्रभारी, लिपिक,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं किसी भी रूप से संबन्धित अन्य प्राध्यापक, कर्मचारी या विद्यार्थी को धनराशि–मानदेय या अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।

दिनांक– 28 मई 2024
स्थान– सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सांस्कृतिक नीति निर्माण समिति

डॉ0 सत्येन्द्र कुमार दुबे–	चेयरमैन
डॉ0 दिनेश प्रसाद–	सदस्य
डॉ0 सरिता सिंह–	सदस्य
डॉ0 ह्रदय कान्त पाण्डेय–	सदस्य
डॉ0 रक्षा–	सदस्य